

**HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR**

Endorsement No. B/129      Jabalpur, dated 06.01.2017.

The copy of the Notification of the Government of M.P. F.No.17(E)44/2013/21-B(One)/4958/2016, dated 04.01.2017 as per the provisions of Section 22(1) of the National Investigation Agency Act, 2008 is forwarded to;

1. Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Chief Justice,
2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information.
3. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
4. The District and Sessions Judge, Bhopal for information and necessary action with request that the same be served on the concerned Officers also.
5. The Section Officer, Confidential/Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information and necessary action.
6. Server Room, Computer for an appropriate action in connection with uploading the same on the website.

*Lew  
6.01.17*  
(Vivek Saxena)  
O.S.D. (D.E.)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

अधिसूचना

06 JAN 2017

जबलपुर

भोपाल दिनांक 04-01-2017

फा.क्रमांक 17(ई) 44/2013/21-ब(एक)/4958/2016 . - राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक ब(1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

क्रमांक	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम
5.	भोपाल	श्री गिरीश दीक्षित, सोलहवें अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल.”

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपना पदभार ग्रहण करें।

NOTIFICATION

F-No. 17(E)/44/2013/21-B(One)- 4958/2016 ,In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the state Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F-No. B(1)3476-2013, dated 11<sup>th</sup> September, 2013; which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20<sup>th</sup> September, 2013, Namely:-

**Amendment**

In the said notification , in the table, for serial number 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

06 JAN 2017

**REGISTRAR GENERAL**

**HIGH COURT OF M.P.**

**JABALPUR**

**059 (P.E.)**

TABLE

S. No.	Name of District	Name and Designation of the Judge
15	Bhopal	Smt. Girish Dixit, M.L. Additional Sessions Judge, Bhopal

This amendment shall come into force on the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्य प्रदेश के नियमों व कानूनों से राज्य अदालत का सार

- (प्राप्ति राजसेना)
- ख. सचिव  
मध्य प्रदेश शासन की ओर उपर विधायी कांगड़ी विभाग  
विभाग, दिनांक 05.12.2016  
प्राप्ति
- मध्य प्रदेश अदालत का प्राप्ति विभाग का अधिकार दिनांक 05.12.2016 को और उसके शासन कानून 3923  
III-6-4-10, दिनांक 05.12.2016 के सदृश है।
- संसदीय आदालत का प्राप्ति विभाग का अधिकार दिनांक 05.12.2016 को और उसके शासन कानून 3923  
मध्य प्रदेश अदालत की ओर उपर विधायी कांगड़ी विभाग  
विभाग, दिनांक 05.12.2016 के सदृश है।
- विभाग की ओर उपर विधायी कांगड़ी विभाग की ओर उपर विधायी कांगड़ी विभाग  
मध्य प्रदेश अदालत की ओर उपर विधायी कांगड़ी विभाग की ओर उपर विधायी कांगड़ी विभाग  
की ओर उपर विधायी कांगड़ी विभाग की ओर उपर विधायी कांगड़ी विभाग  
शास्त्रीय प्रभारी, वायदी, शास्त्रीय विधिएँ उपर विधायी कांगड़ी विभाग, भाषाल की ओर अधिकार  
की प्रति देख पर उपर विधायी कांगड़ी विभाग प्रेषित है।

आरा के 0 वाणी।

सचिव

मध्य प्रदेश शासन  
विधिएँ और विधायी कांगड़ी विभाग